नकल फीस = 1/0
2 पेज = 600 शब्द मात्र

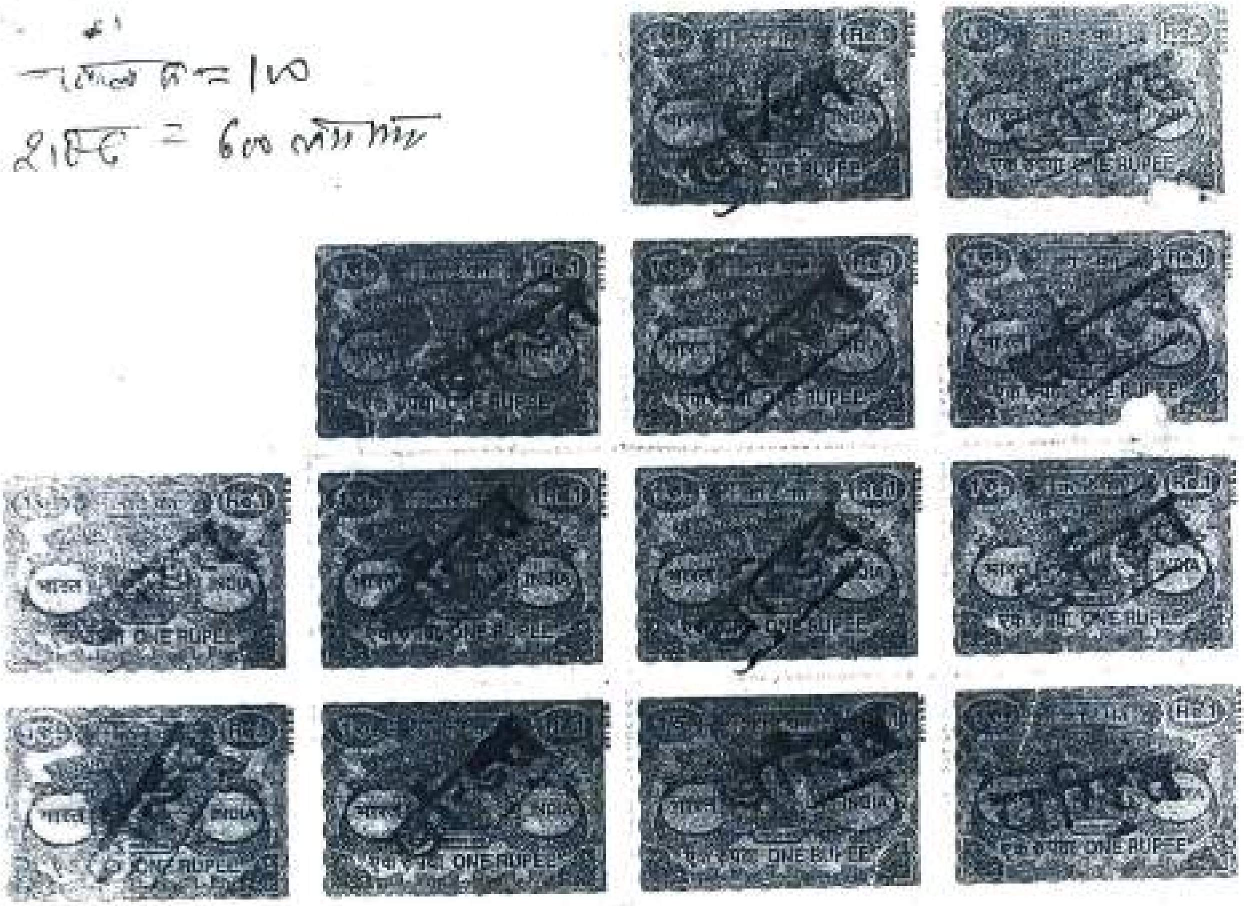

14
14/=

न्यायालय जिलाधिकारी / कलेक्टर बागपत

वाद सं० 18/2010 अं.धा. 47A स्टाम्प अधि०

सरकार बनाम इन्टीरो सर्वोदय शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अध्यक्ष श्री ओमपाल सिं० पुत्र श्री ... नि० ग्राम बली तह० बागपत मौ० बी - हटीरी तह० व जनपद बागपत

नकल आदेश दि० 31.3.10 जिसमें कुल ③ पेज

15-6-10

MANAGER
... Sarvodaya Shiksha Prasar Samiti
... (BAGHPAT)

न्यायालय जिलाधिकारी / क्लेक्टर बागपत

वाद सं0 18 / 09–10 — अ0धारा 47 ए0 स्टाम्प अधि0।

सरकार बनाम टटीरी सर्वोदय शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अध्यक्ष श्री बेगराज पुत्र खचेडू सिंह निवासी ग्राम बली तहसील बागपत

मौजा – टटीरी तहसील व जनपद बागपत।

निर्णय

इस वाद की कार्यवाही तहसीलदार बागपत की आख्या दिंनाक 14–9–2009 के आधार पर प्रारम्भ हुई ।तहसीलदार बागपत ने प्रलेख सं0–3223 / 09 के सम्बंध मे अवगत कराया है कि ख0न0–1066 अ ब व 1067 कुल रकबा 0.5547 है0 स्थित ग्राम टटीरी बाहर सीमा नगर पंचायत का कय टटीरी सर्वोदय शिक्षा प्रसार समीति द्वारा अध्यक्ष श्री बेगराज सिंह पुत्र खचेडू निवासी ग्राम बली तहसील बागपत ने रघुवीर सिंह व राधेश्याम पुत्रगण भोलेराम निवासी टटीरी पटटी देशवाल तहसील बागपत से किया । प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत 55,47,000 / –रू0 मानते हुये अंकन 3,88,400 / –रू0 स्टाम्प शुल्क अदा किया गया । तहसीलदार बागपत ने अपनी आख्या में यह भी उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि मेरठ बागपत मुख्य मार्ग से लगी हुई है तथा सर्वोदय शिक्षा समीति अग्रवाल मन्डी टटीरी के नाम से इस शिक्षा समीति का स्कूल चल रहा है तथा कय की गई भूमि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु खरीदी गयी है । मौके की स्थिति के अनुसार विकीत सम्पत्ति की मालियत 4,82,58,900 / –रू0 व उस पर देय स्टाम्प 28,95,534 / – रू0 है किन्तू विपक्षी द्वारा अंकन 3,88,400 / –रू0 स्टाम्प शुल्क दिया गया है तथा अंकन 25,07,134 / –रू0 कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है ।

तहसीलदार बागपत की उक्त आख्या पर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया । विपक्षी ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि नोटिस दिंनाकित 23–11–09 व रिर्पोट तहसीलदार बागपत दिंनाक 14–9–2009 खिलाफ कानून एवं खिलाफ वाकात है जो किसी भी दशा में पोषणीय नही है । विपक्षी द्वारा उचित स्टाम्प अदा किया गया है तथा स्टाम्प की अपवंचना / चोरी नही की गयी है । विपक्षी द्वारा इस भूमि का प्रयोग हरगिज भी वाणिज्यिक (व्यवसायिक) रूप में नही किया जा रहा है और न ही भविष्य में किया जायेगा । बल्कि अपना कृषि भूमि का प्रयोग अपनी उक्त शिक्षण संस्था का विस्तार कर शैक्षिक संस्था के रूप में किया जायेगा । विपक्षी ने उक्त कृषि भूमि का बैनामा मूल्य सूची के पृष्ठ–2 कमांक–3ख के आधार पर कराया है,तथा सही स्टाम्प दिया गया है ।

Samiti
Aggarwal Mandi Tatiri (BAGHPAT)

मैने विद्वान डी जी सी आर को सुना तथा पत्रावली पर तहसीलदार बागपत की स्थल निरीक्षण आख्या, उपलब्ध अभिलेखों तथा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का गम्भीरता से अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा क्रय की गई भूमि बागपत–मेरठ मुख्य मार्ग पर स्थित है । विपक्षी द्वारा क्रय की गई भूमि की मालियत अंकन 55,47,000/–रू0 पर अंकन 3,88,400/–रू0 स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । मेरी राय में प्रश्नगत सम्पत्ति का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाना चाहिये था । मूल्य सूची के अनुसार दर 50,00,000/–रू0 प्रति है0 से रकबा 0.5547 है0 की मालियत 27,73,500/–रू0 ~~कृषि क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं द्वारा~~/ के लिये भूमि क्रय करने पर उस क्षेत्र में निर्धारित कृषि दर की दोगुणा मालियत के आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत 27,73,500X2= 55,47,000/–रू0 तथा राष्ट्रीय /प्रान्तीय राजमार्ग (बागपत–मेरठ मार्ग) पर स्थित होने के कारण कृषि दर का 75 प्रतिशत अधिक अर्थात 55,47,000/– रू0 का 75 प्रतिशत अर्थात 41,60,250 रू0 कुल मालियत 55,47,000+41,60,250= 97,07,250/– रू0 तथा इस पर देय स्टाम्प 6,79,508 रू0 होता है किन्तू विपक्षी द्वारा अंकन 3,88,400/–रू0 शुल्क अदा किया गया है । इस प्रकार अंकन 2,91,108/– रू0 कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । जिसकी वसूली अर्थदण्ड व ब्याज सहित की जानी न्यायोचित है।

आदेश

तदनुसार विपक्षी टटीरी सर्वोदय शिक्षा प्रसार समीति द्वारा अध्यक्ष श्री बेगराज सिंह पुत्र खचेडू निवासी बली तहसील बागपत पर कमी स्टाम्प अंकन 2,91,108/– रू0, अर्थदण्ड 10,000/-.........रू0 तथा निष्पादन तिथि माह जून –2009 से वसूली के माह तक की कमी स्टाम्प पर 1.5 प्रतिशत मासिक दर से साधारण ब्याज आरोपित किया जाता है। विपक्षी द्वारा आरोपित धनराशि एक माह के अन्दर जमा न कराये जाने की स्थिति मे भू0 राजस्व की भांति मांग पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को भेजी जाये। पत्रावली बाद वसूली अभिलेखगार संचित की जाये।

दिनांक :– 31–3–2010

(मयूर माहेश्वरी)
जिलाधिकारी/कलेक्टर
बागपत।

कीमत टिकट 14/-
तिथि प्रार्थना पत्र ...15-6-10
ति. व नोटिस 15-6-10
तिथि देने की......15-6-10
हस्ताक्षर..

सत्य प्रतिलिपि
15-6-10
मजिस्ट्रेट

Sarvodaya Shiksha Prasar Samiti
Approved